

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./54/09/1331


भोपाल,दिनांक 22/10/09

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।
2/ यह पदस्थापना अर्तविभागीय होने के कारण स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी। इनकी वरियता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ही मान्य होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री आनंद मंगल बोहरे (इतिहास)	AQ 2697	शास.उ.मा.वि.सिझौरा मण्डला (आ.जा.क. वि.)	23429988806	शास.उ.मा.वि.पौडी संकुल गांधी ग्राम जिला जबलपुर (स्कूल शिक्षा विभाग)	23390777710
2	श्री संतोष कोर्वे (इतिहास)	AP 7647	शास.उ.मा.वि.पौडी संकुल गांधी ग्राम जिला जबलपुर (स्कूल शिक्षा विभाग)	23390777710	शास.उ.मा.वि.सिझौरा मण्डला (आ.जा.क. वि.)	23429988806

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 22/10/09

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./54/09/1332

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक मान. मंत्रीजी आ.जा.क.तथा अनु.जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,/आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. कलेक्टर जिला मण्डला /जबलपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मण्डला/जबलपुर।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला मण्डला/जबलपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी मण्डला/जबलपुर म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के

प्रमाणित

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./74/09/1333

भोपाल,दिनांक 22/10/09

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉन्म क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।
2/ यह स्थानान्तरण स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर किये जा रह है अतः इन्हे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादी की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्थ. तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अनिल गुप्ता (अंग्रेजी)	BD 9738	शास.उ.मा.वि. इंगोरिया जिला उज्जैन	23210377707	शास.उ.मा.वि. दौलतगंज जिला उज्जैन	2321077707
2	श्री अशोक कुमार चौहान (इतिहास)	AK 9500	शास.उ.मा.वि.क्र.2 जिला दतिया	23050177702	शास.क.उ.मा.वि. ग्वालियर-	23040577720
3	श्री विनोद शर्मा (अंग्रेजी)	AV 1317	शास.उ.उ.मा.वि. खिलचीपुर जिला राजगढ़(ब्यावर)	23300577701	शास.उ.मा.वि.कन्या कस्तूरबा इन्दौर	23260177715

आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 22/10/09


पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./74/09/1334
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. कलेक्टर जिला उज्जैन/दतिया/ग्वालियर/राजगढ़/इन्दौर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला उज्जैन/दतिया/ग्वालियर/राजगढ़/इन्दौर
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय उज्जैन/ग्वालियर/भोपाल/इन्दौर ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला उज्जैन/दतिया/ग्वालियर/राजगढ़/इन्दौर ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन/दतिया/ग्वालियर/राजगढ़/इन्दौर म.प्र. की ओर अग्रपिठ कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
9. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

- क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे ।
9. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त, 24/10/18.
लोक शिक्षण म.प्र.